(4) इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के पीयर तथा आयरलैंड के निर्वाचित पीयर कॉमन्स सभा के सदस्य नहीं हो सकते।

⇒ अपवाद :-

(1) रोमन कैथोलिक चर्चों के पादरी, आयरलैंड के प्रतिष्ठित व्यक्ति, क्राउन के उच्चाधिकारी, न्यायाधीश इत्यादि भी कॉमन्स सभा के उम्मीदवार नहीं हो सकते।

(2) जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से सात वर्ष के लिए उम्मीदवारी से वंचित कर दिया गया हो, वह भी कॉमन्स-सभा का प्रत्याशी नहीं हो सकता। अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्याशी बन सकता है।

1928 ई० के ~~अवधि~~ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, सदस्यता के लिए 21 वर्ष की आयु निर्धारित थी, लेकिन अब मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है।

इंग्लैंड में 75 हजार व्यक्तियों के पीछे कॉमन्स-सभा का एक सदस्य होता है। कॉमन्स सभा की अवधि 5 वर्ष है, किंतु मंत्रिपरिषद इसे पहले भंग कर सकती है। संकटकालीन स्थिति में कॉमन्स सभा की अवधि में वृद्धि की जा सकती है।

⇒ अवधि (Tenure) — भारतीय लोकसभा की भाँति 1911 से कॉमन्स सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। कॉमन्स सभा का कार्यकाल संसद के द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है साथ ही, सम्राट को यह अधिकार है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वह कॉमन्स सभा को 5 वर्ष पूर्ण न होने पर भी भंग कर सकता है।

⇒ कॉमन्स सभा की शक्तियाँ और कार्य (Powers and Functions of the House of Commons) —

कॉमन्स सभा व्यवस्थापिका-सभा (संसद) का लोकप्रिय एवं प्रमुख सदन है, ~~इसके कार्य~~ संसद जितने भी कार्य करती है, व्यावहारिक रूप में इन्हें यही सभा …

#

अब कॉमन्स सभा की स्थिति है. कॉमन्स सभा के शक्तियों का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते है.

(1) व्यवस्थापिका संबंधी कार्य

(2) वित्त - संबंधी कार्य

(3) कार्यपालिका पर नियंत्रण

(4) जनता के शिकायतों को दूर करना।

(1) व्यवस्थापिका संबंधी कार्य, —

कॉमन्स सभा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य विधि या कानून का निर्माण करना है। कानूनों के निर्माण की शक्ति ब्रिटिश संसद में निहित है, परंतु लार्ड्स सभा की शक्तियां के कम हो जाने के परिणामस्वरूप कॉमन्स सभा ही व्यावहारिक रूप में यह कार्य करती है। कॉमन्स सभा यदि किसी विधेयक को पारित कर देती है तो अंततोगत्वा लार्ड्स सभा को उसे पारित करना ही होता है। किसी साधारण विधेयक पर यदि 1 वर्ष की अवधि में लार्ड्स सभा उस पर निर्णय नहीं लेती तो कॉमन्स सभा उसे सम्राट की अनुमति के लिए भेज सकती है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है इसमें राजा की स्वीकृति तो केवल नाममात्र की है और जहां तक लार्ड्स सभा का प्रश्न है, वह किसी भी साधारण विधेयक को अधिक-से-अधिक एक वर्ष के लिए और धन विधेयक को केवल एक माह के लिए रोक रख सकती है,

(2) वित्त संबंधी कार्य — राजकीय वित्त पर भी कॉमन्स सभा का नियंत्रण रहता है आय-व्यय का वार्षिक ब्यौरा कॉमन्स सभा में रखा जाता है लॉर्ड्स-सभा कॉमन्स सभा द्वारा पारित किए हुए धन-विधेयक को एक माह (1) से अधिक नहीं रोक सकती और यदि वह ऐसा करती है तो वह विधेयक पारित मान लिया जाता है और इसे